कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक :– 01/यो0ब0 –24/2015- 472 **दिनांक :– 21.08.2020**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में "झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–07/यो0बजट–40/2014–09/स्वी0 व0प0 दिनांक 31.07.2020 एवं आवंटन आदेश संख्या–07/यो0 बजट–40/2014–06/आ0 व0प0 दिनांक 05.08.2020।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत **कुल रु0 800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र** की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में लघुशीर्ष/इकाईवार राशि निम्नवत उप–आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख मे)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	"2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53 झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को अनुदान योजना"	79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) इकाई	19S240601796530679	800.000
	कुल आवंटित राशि			**800.000**

ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।

2. वर्त्तमान आवंटित राशि **800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53–झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को अनुदान योजना" विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के अन्तर्गत 79–सहायता अनुदान सामान्य इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. जैव विविधता से संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का गत 3 वर्ष में प्रमुख्य प्रकाशन निम्नवत है :–

(a) Coffee Table Book is published on "Common Butterflies of Jharkhand"
(b) Two fold brochures on Bat and Sparrow.
(c) Posters Sparrow and Bat.
(d) Pamphlets/leaflet on Sparrow for distribution on the occasion of World Sparrow Day, 2018.
(e) Booklet on "Biological Diversity & Tourism".
(f) Booklet on "Sustaining life on Earth".
(g) Pamphlet on Biodiversity Act & Rules, About BMC, Role & Functions of BMC etc.
(h) Decadal Report of Board (2007-2008 to 2016-2017)
(i) Booklet on "Compendium of Biological Diversity Act, Rules and Other Notifications"
(j) Booklet on "People's Biodiversity Register Methodology"
(k) Booklet on "Spiders of Jharkhand".
(l) Coffee Table Book on "Winter Visitors of Jharkhand".
(m) "Wild Leafy Vegetables of Jharkhand".

4. कंडिका–3 में अंकित सभी प्रकाशन को झारखण्ड सरकार के पार्टल forest.jharkhand.gov.in पर upload किया जाय। इसकी प्रतियाँ भगवान बिरसा मुण्डा जैविक उद्यान में display एवं sale में भी रखी जाय। राज्य में प्रमुख्य राजस्तरीय पुस्तकालय / SKIPA/Police/Forest Traning संस्था में रखा जाय।

5. प्रसंगाधीन सदस्य सचिव के पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य प्रस्तावित किया गया है :–

(क) स्थानीय निकाय के स्तर पर अवशेष जैव–विविधता प्रबंधन समितियों का गठन सुदृढ़ीकरण (क्षमता विकास) एवं NGT द्वारा निर्देशित कार्यों को पूर्ण करना।

(ख) राष्ट्रीय जैव–विविधता पर्षद के निर्देशों का अनुपालन करना।

(ग) NGT O.A. No.-347/2016, दिनांक–09.08.2019 में पारित आदेश का ससमय अनुपालन करेंगे।

(घ) जैव–विविधता पंजी को निर्माण जैव–विविधता अधिनियम 2002 एवं गठित नियमावली के तहत किया जायेगा।

(ङ.) जैव–विविधता पर्षद द्वारा लिए गये निर्णय का कार्यान्वयन जो इसके उद्देश्यों के पूर्ति के अनुरुप होगें।

6. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे **दूसरे स्त्रोत** से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को तुरंत देंगे। **नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी** यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

7. (i) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

(ii) सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा–संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

(iii) पर्षद को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

8. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

(ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

10. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे।

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(iii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा महालेखाकार को प्रेषित होने वाले लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/सदस्य सचिव, जैव–विविधता पर्षद, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) भारत सरकार/NGT को आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) सभी सूचना राज्य जैव–विविधता पर्षद के पोर्टल/नियंत्री पदाधिकारी के स्तर पर portal पर संधारित किया जाय।

(vii) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/सदस्य सचिव, जैव–विविधता पर्षद, झारखण्ड निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाए।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत् है।

(iii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में ही किया जायेगा। सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक–20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) Income tax(IT)/ Service Tax (GST/VAT)/Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/Sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(v) कंडिका–iv के के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

15. वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social Distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। COVID-19 protocol का अनुपालन किया जायेगा।

17. राशि का संधारण पी0एल0 खाते में करते हुए कुल राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव एवं प्रारुप पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का सशर्त अनुमोदन दिनांक–30.07.2020 को प्राप्त है। निर्देश है कि COVID-19 के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

21. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन–सह–उपयोगिता प्रमाण–पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य जैव–विविधता पर्षद को समर्पित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01 / यो0ब0 –24 / 2015-** 472 दिनांक :– 21.08.2020

प्रतिलिपि–अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव–विविधता पर्षद, झारखण्ड, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01 / यो0ब0 –24 / 2015-** 472 दिनांक :– 21.08.2020

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-24/2015/472 **दिनांक -** 21-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796530679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 53 - राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) **State Scheme**	38759	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	80,000,000.00 रुपये आठ करोड

State Scheme : GRANT-IN-AID TO JHARKHAND STATE BIO-DIVERSITY BOARD(0626)

Centeral Scheme : NA

योग: 80,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

 59.97.149.144 [redacted]